



राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कोटा दौरा: कोचिंग छात्रों की मौत के आंकड़ों से चिंतित हुई सरकार

काउंसलर नहीं लगाने पर आयोग नाराज

बाईब्रेट और मोशन कोचिंग के छात्रों की सर्वाधिक मौतों पर उठे सवाल

स्नातक स्तर के काउंसलर नहीं मनोचिकित्सकों की नियुक्ति करें

जेजे व पोस्को एक्ट की करें पालना नहीं तो लगेंगे कोचिंग संस्थानों पर ताले

नवज्योति/कोटा

देश में एज्युकेशन सिटी के नाम से विख्यात कोटा पिछले 3-4 सालों से कोचिंग छात्रों की मौत से बदनम हो रहा है। इन सालों में बाईब्रेट और मोशन कोचिंग संस्थान के छात्रों की सर्वाधिक मौतों के मामले सामने आए हैं। सभी कोचिंग संस्थानों ने जेजे एक्ट एवं पोस्को एक्ट की पालना नहीं की तो कोचिंग संस्थानों की मान्यता रद्द कर ताले लगा दिए जाएंगे। यह बात शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने टैबलर हॉल में तनावमुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक में हिदायत देते हुए कहा। उन्होंने कोचिंग संस्थाओं के प्रतिनिधियों को फटकार लगाते हुए कहा कि वह जिम्मेदारी से भागने के प्रयास नहीं करें। माता-पिता आपके भरोसे बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं। शिक्षा नीति पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है हमें खबर पता है कि कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों की काउंसलिंग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। यहाँ बच्चों की मौत न हो इसके लिए मिलकर प्रयास करें। उन्होंने तनाव के समय विद्यार्थियों की सख्यता के लिए जिला प्रशासन एवं होप संस्था के सहयोग से चलाई जा रही हैल्प लाइन की कतिबंधि की जानकारी भी ली तथा हैल्प लाइन के दूरभाष नम्बरों को कोचिंग संस्थानों में प्रदर्शित करने के निर्देश दिये।



कोचिंग संस्थानों की बैठक में हिदायत देते कानूनगो।

- टीआर



बैठक में मौजूद कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि।

- टीआर

काउंसलिंग की बात पर उखड़े कानूनगो

कानूनगो ने जब कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों से पूछा की काउंसलरों की शैक्षणिक योग्यता क्या है और कितने बच्चों पर कितने काउंसलर हैं, तो चौकाने वाला आंकड़ा सामने आया। जिसमें काउंसलरों की न्यूनतम शैक्षणिक स्तर स्नातक और 77 हजार बच्चों पर महज 4 काउंसलर रखे जाने पर प्रियंक कानूनगो उखड़ गए। उन्होंने तीखे शब्दों में लताड़ लगाते कहा कि स्नातक स्तर के काउंसलरों को कोई नॉलिन नहीं है। इसके लिए मनोचिकित्सकों की नियुक्ति करें। ताकि बच्चों की काउंसलिंग सही ढंग से की जा सके और बच्चों की संख्या के अनुसार काउंसलर नियुक्त किए जाएं। आदेशों की पालना के लिए एडीएम सुनीता डागा और एसपी अनंत कुमार को जिम्मेदारी सौंपी।

कहीं इसलिए तो नहीं हो रही मौतें

प्रियंक कानूनगो ने बताया कि कोचिंग संस्थानों के बच्चों से की गई बात में यह खुलासा हुआ है कि कोचिंग संस्थान बच्चों का बैच बदल देते हैं। जिस कारण पढ़ाई में कमजोर बच्चा तनावग्रस्त होकर आत्महत्या का मार्ग चुनता है। ऐसे में बच्चों को सही काउंसलिंग की जरूरत होती है लेकिन कोचिंग संस्थान बच्चों को बेहतर काउंसलर उपलब्ध नहीं कराते। जिससे बच्चों और संस्थान के बीच दूरी बढ़ती है और बच्चों को मौत का रास्ता अपनाता पड़ रहा है। कोचिंग संस्थानों को कड़े शब्दों में कह दिया गया है कि वह बच्चों का बैच नहीं बदलेंगे। खेलों को अनिवार्य करेंगे।

रिहायशी इलाकों में नहीं चलने दी जाए कोचिंग

बैठक में कानूनगो ने सभी कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों को रिहायशी इलाकों में कोचिंग संचालन नहीं करने के लिए जिला प्रशासन को नगर निगम के माध्यम से एनओसी पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम इस बात का ध्यान रखें कि व्यवसायिक क्षेत्र में ही कोचिंग संचालन पर एनओसी दी जाए।

होप ने माना बायलॉजिकल बदलाव मौत का कारण

वहीं कोटा में जिला प्रशासन के साथ मिल कर काम कर रही संस्था होप के संचालक मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. एम एल अग्रवाल ने बताया कि कोटा में किए गए सर्वे एवं काउंसलिंग में यह बात सामने आई है कि बच्चों में बायलॉजिकल बदलाव आ रहा है। इस समय उन्हें सर्वाधिक चिकित्सकीय काउंसलिंग की जरूरत होती है। लेकिन आए शारीरिक बदलाव को समझने की बजाय बच्चा गलत आदतों में पड़ जाता है। जिससे भी मौत का एक कारण माना जा रहा है।

छात्रों, शिक्षकों की सौंपे कुण्डली

प्रियंक कानूनगो ने शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि वह अपने संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का डाटा बेस तैयार करें। जिसमें किस होस्टल में विद्यार्थी रहता है उसका नाम व फोन नम्बर की सूची जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को दें।

सभी विद्यार्थियों के सम्पर्क में रहने वाले कोचिंग शिक्षकों एवं कर्मचारियों का पुलिस वेरीफिकेशन भी करवाए। ताकि मौत के मामलों में तपशील में पुलिस को सहयोग मिलेगा।

विद्यार्थियों एवं संचालकों से मिले

इससे पूर्व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के नेतृत्व में सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को कोटा पहुंचा तथा विभिन्न कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों का भ्रमण कर विद्यार्थियों एवं संचालकों से मिले तथा मानसिक तनाव के कारणों के बारे में विस्तार से अलग-अलग जानकारी ली।

यह रहे बैठक में मौजूद

बैठक में तकनीकी विशेषज्ञ शरईस्ता के शाह, विशेषज्ञ वीतांजली, रजनीकांत, अतिरिक्त कलक्टर नगर सुनिता डागा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनन्त कुमार, बाल कल्याण समिति कोटा के हरिस नुरुबखशानी, सदस्य डॉ. अरुण शर्मा, शिक्षा एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी, मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ. एम एल अग्रवाल, ऐलन, बंसल क्लासेज, कैरियर प्वाइंट, अकांक्षा क्लासेज, चाइब्रेट और मोशन कोचिंग समेत 9 कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कोटा में मौत के मामलों को रोकने के लिए देश के अन्य शहरों में भी संस्था अध्ययन करेगी। सभी तथ्यों की जांच के बाद ही वह साफ हो सकेगी की एज्युकेशन सिटी कोटा में बच्चों आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। पिछले साल 34 बच्चों की आत्महत्या से देश में कोटा बदनम हो चुका है। इसे लेकर सरकार चिंतित है।

प्रियंक कानूनगो, सदस्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

एमबीएस में आज से शुरू होगी निरोएन्ड्रोस्कोप

मस्तिष्क और मैरूडंड के रोगियों की छे सके गी दूरबीन सर्जरी

नवज्योति/कोटा

हाइती के मस्तिष्क और मैरूडंड के रोगियों को दूरबीन सर्जरी का लाभ कोटा एम्बीएस अस्पताल मिलेगा। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग शनिवार से मस्तिष्क और मैरूडंड की दूरबीन सर्जरी की सुविधा का शुभारंभ करने जा रहा है। कोटा उत्तर विधानसभा प्रहलाद गुंजल मूडह 11 बने एम्बीएस अस्पताल में पैन दो करोड़ की लागत से बने मॉड्यूलर ओटी में निरोएन्ड्रोस्कोप का उद्घाटन करेंगे। चिकित्सालय अधीक्षक डॉ. विनय सरदाना ने बताया कि इससे पहले हाइती क्षेत्र के मरीजों को निरोएन्ड्रोस्कोप की सुविधा के लिए जयपुर रैफर करना पड़ता था। लेकिन अब कोटा में भी वह सुविधा उपलब्ध होगी।

अधीक्षक आज मिलेंगे सांसद से

तैयार हुई 2 लाख लीटर की पेयजल टंकी, रजिस्ट्रेशन काउंटर भी होंगे शुरू

नवज्योति/कोटा

न्यूबैडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नवनिर्मित उच्च जल भरण क्षमता की 2 लाख लीटर पेयजल टंकी और बनाए गए 10 रजिस्ट्रेशन काउंटरों के उद्घाटन के लिए शनिवार को चिकित्सालय अधीक्षक डॉ. चन्द्रशेखर सुशील कोटा-बूंदी सांसद ओम बिरला से मिलेंगे। उन्होंने बताया कि दोनों सुविधाएं तैयार हैं। इन्हें लोकार्पण का इंतजार है। पेयजल टंकी से चिकित्सालय की पेयजल समस्या का निराकरण होगा। अगले सप्ताह दोनों सुविधाओं को शुरू किए जाने की उम्मीद है।